उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008

दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स न0 : 2669384

Email. crc.ddn99@gmail.com,boardofrevenue&uk@gov.in

पत्रांक : 1970 /रा0प0/1-22/2021 दिनांक : 04 मई, 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को राजकीय कार्य हेतु किराये के लिए INNOVA CRYSTA की आवश्यकता है, जिसके लिये विभाग द्वारा शर्तों पर शील्ड निविदायें आमंत्रित की जाती है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से निविदायें प्रत्येक दशा में दिनांक 15 मई, 2023 को अपरान्ह् 01:00 बजे तक कार्यालय में पंजीकृत डाक/दस्ती के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। तकनीकी/वित्तीय निविदा दिनांक 15 मई, 2023 को 03.00 बजे अपरान्ह् में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। उक्त निविदा प्रपत्र राजस्व परिषद् की वेबसाईट https://revenue.uk.gov.in पर अथवा किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 12 मई, 2023 तक राजस्व परिषद् कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की नियम व शर्तें निविदा पत्र में उल्लिखित हैं।

(चन्द्रेश कुमार)

आयुक्त एवं सचिव

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।

फार्म–अ
(तकनीकी निविदा)

1– फर्म का नाम :

2– पता :

3– दूरभाष संख्या :

4– प्रोपराईटर / साझेदारों का नाम :

5– जी0एस0टी0 नम्बर :

(पंजीकरण की प्रतियॉ सलग्न करना अनिवार्य है) :

6– पैन (PAN) नम्बर :

7– विगत वर्ष की आयकर कटौती का विवरण :

8– धरोहर धनराशि का विवरण :–

(1) डी0डी0 नम्बर :

(2) दिनांक :

(3) बैंक का नाम :

(4) बैंक की शाखा :

9– अन्य कोई विवरण :

10– अल्प कालीन निविदा सूचना में दी गई विभागीय शर्तों को मैने भली–भांति पढ़ लिया है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

संलग्नकों की सूचीः–

1. फर्म / एजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. वाहन की आर0सी0 का प्रमाण पत्र।
3. फर्म / एजेन्सी / प्रोपराईटर / साझेदार / वाहन स्वामी का पैन(PAN) नम्बर प्रमाण पत्र।
4. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. फिटनेस प्रमाण पत्र।
6. वाहन बीमा प्रमाण पत्र।
7. वाहन चालक का हिल ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति।
8. वाहन का परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
9. वाहन का उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली का परमिट की प्रति।
10. अनुभव प्रमाण पत्र विगत 03 वर्ष।
11. आयकर रिर्टन गत 03 वर्ष
12. एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

फार्म –ब

(वित्तीय निविदा)

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कमांक	वाहन का नाम	मासिक किराया प्रतिमाह
1	INNOVA CRYSTA	
2	GST %	

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008
दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स न0 : 2669384
Email. crc.ddn99@gmail.com,boardofrevenue&uk@gov.in

विभागीय नियम/शर्ते

1– निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि (EMD)/प्रतिभूति धनराशि (PBG)/निविदा तिथियों का विवरण–

- निविदा पत्र शुल्क– रु0 400 + 18 %GST **(कुल ₹ 472–00)**
- धरोहर धनराशि (EMD)- रु0 5,000.00
- प्रतिभूति धनराशि - रु0 20,000.00
- निविदा जारी करने की तिथि- 03-05-2023
- निविदा पत्र कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि व समय– 15 मई, 2023 समय अपराहन 01.00 बजे।
- तकनीकी/वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि व समय– 15 मई, 2023 पूर्वाहन 03.00 बजे

2– INNOVA CRYSTA वाहन का निर्माण/मॉडल वर्ष 2021 के पूर्व का न हो एवं कोटेशन के साथ रजिस्ट्रेशन परमिट एवं बीमा की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

3– वाहन का अनुबन्ध एक वर्ष अथवा कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा भी किया जा सकता है।

4– वाहन चालक के पास पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र हेतु वैध ड्राईविंग लाईसेन्स भी होना चाहिए, उसे विभागीय लॉग बुक भरने का ज्ञान होना चाहिए।

5– वाहन का पंजीकरण टैक्सी परमिट में उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली राज्यों के लिए मान्य हो।

6– अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में चालक को अपने खाने/रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7– वाहन मय चालक कार्यालय अवधि/राजकीय कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रहेगा।

8– वाहन का अनुरक्षण विभागीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रीकेन्ट, वाहन का ईंधन तथा मरम्मत आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी की होगी।

9– घर एवं कार्यालय में टेलीफोन/मोबाईल फोन की सुविधा रखने वाली फर्म ही आवेदन करें। जिन फर्मों का देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यलय हो मात्र वही फर्में निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

10– सर्विसिंग आदि हेतु वाहन के अनुपस्थित होने की दशा में उस दिन का किराया अनुमन्य नहीं होगा अथवा वाहन की मरम्मत, दुर्घटना, सविसिंग आदि की स्थिति में दूसरा वाहन मय चालक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

11– वाहन एवं चालक से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होने चाहिए। चालक को कम से कम तीन वर्ष का पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाने का अनुभव हो तथा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वाहन चालक की स्वच्छता व सुरक्षा के मानकों का अनुपालन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किया जायेगा।

12– फर्म को अनुबंधित वाहनों के किराये का भुगतान माह व्यतीत होने के उपरान्त अथवा धनावंटन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

13– फर्म की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ होनी चाहिये कि विशेष परिस्थितियों में वाहन के किराये का भुगतान बजट/धनावंटन उपलब्ध होने तक स्वयं के संसाधनों से वाहन की उपलब्धता कार्यालय को सुनिश्चित करा सकें।

14– वाहन के किसी दुर्घटना व चोरी आदि की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15– सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

16– प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।

17– वाहन किराये के देयक से निर्धारित दरों पर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी।

18– निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि (EMD) रू0 5,000–00 (रूपये पांच हजार मात्र) जो कि वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के नाम से देहरादून में देय/बंधक हो को एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। धरोहर धनराशि संलग्न/प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त शीघ्र वापस की जोयगी। सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) कार्यालय में प्रस्तुत करने उपरान्त ही वापस की जायेगी।

19– सफल निविदादाता को कार्यालय स्तर से निविदा में सफल होने के आशय पत्र (Letter of intent) कार्यादेश के क्रम में रू0 20,000–00 (रूपये बीस हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) जो कि बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् के नाम से बंधक होगी 03 दिन अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) की अवधि 01 वर्ष की होगी।

20– एक निविदादाता एक ही निविदा जमा कर सकेगा, जो निविदायें मोहरबंद लिफाफे में नही होगी वे स्वीकार नहीं की जोयगी।

21– निविदा पंजीकृत डाक अथवा निविदादाता द्वारा स्वयं राजस्व परिषद् कार्यालय में दिनांक 15 मई, 2023 को अपरान्ह 01.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत/जमा करनी होंगी। तद्पोरान्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

22– संलग्न निविदा फार्म–अ (तकनीकी बिड) के अनुसार विवरण व फार्म–ब (वित्तीय बिड) में दरें निविदादाता को देनी होगी अन्यथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा।

23– फर्म/निविदादाता किसी भी राजकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो के संबंध में रू0 100.00 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

24– वाहन की ईंधन खपत परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3805 दिनांक 01 अगस्त, 2013 में दी गई स्वीकृति के अनुरूप (10 कि0मी0 प्रति लीटर) मान्य होगी तथा अन्य जनपदों में रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रू0 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जायेगा।

25– निविदा शुल्क रूपया 400.00 (चार सौ मात्र) + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत शुल्क का बैंक ड्रफ्ट जो वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

26– तकनीकि निविदा खोले जाने की निर्धरित तिथि/समय पर निविदादाता अथवा उनके 01 प्रतिनिधि की उपस्थिति अनुमन्य होगी। अनुपस्थिति की दशा में यह समझा जायेगा कि निविदादाता को तकनीकी निविदा खोले जाने की कार्यवाही स्वीकार्य है। तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्यवाही में तद्नुसार उपस्थिति अनुमन्य होगी।

27– फर्म/निविदादाता द्वारा गत 03 वित्तीय वर्षों के आयकर कटौती/जी0एस0टी0 विवरण की स्वप्रमाणित प्रति निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

28– तकनीकी निविदा पत्र में संलग्न दस्तावेजों को फर्म/निविदादाता द्वारा स्वप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों/दस्तावेजों की प्रमाणिकता फर्जी पाये जाने पर निविदा/अनुबन्ध को तत्काल समाप्त कर लिया जोयगा तथा तद्नुसार संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जोयगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/निविदादाता का होगा।

29– निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में एक A4 साईज के लिफाफे के अन्दर सीलबंद रूप में जमा/प्रस्तुत करनी होगी जिस पर निम्नानुसार कार्यालय का पता दर्शित होगाः–

"निविदा संख्या–1970 /रा0प0/1–22/2021 **दिनांकः 04 मई, 2023"**

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर,
देहरादून।

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव